



पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-05

वृहस्पतिवार, दिनांक-20 फरवरी, 2014 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.40 बजे पूर्वाह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

- (i) 05 तारकित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 01 तारकित प्रश्न क्रम संख्या-252 स्थगित ।
- (iii) 02 तारकित प्रश्न अपृष्ठ ।
- (iv) 85 तारकित प्रश्न अनागत ।

तारकित प्रश्न क्रम सं०-252 के उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए और लगातार नारेबाजी करते रहे । आसन द्वारा बार-बार उनसे अनुरोध किया गया कि वे शांत रहें और अपनी सीट पर जाएं । लेकिन सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की बैठक 12.30 बजे अप० तक स्थगित हुई ।

स्थगनोपरान्त

समय : 12.30 बजे अप० से 12.40 बजे अप० तक

“सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के माननीय सदस्यगण वेल में आकर नारेबाजी करने लगे । आसन द्वारा अनुरोध किया गया कि वे शांत रहें और अपनी सीट पर जाएं लेकिन सदन में शांति कायम नहीं हो सकी ।”

[2] कार्यस्थगन की सूचना :-

आज दिनांक 20.02.2014 के लिए प्राप्त दो कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किए जाने की घोषणा आसन से की गई ।

[3] प्रस्ताव :-

माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-3 एवं नियम-100 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसपर सदन की सहमति हुई।

[4] सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (i) माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह द्वारा विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन फटल पर रखा गया।

माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन सं०-चतुर्थ एवं पंचम में अन्तर्निहित अनुशंसाओं पर सदन की सहमति हुई।

तत्पश्चात् सदन की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 05.10 बजे अप० तक।

[5] अध्यक्षीय नियमन :-

दिनांक 19 फरवरी, 2014 को और आज दिनांक 20 फरवरी, 2014 को सदन के माननीय सदस्यों एवं माननीय मंत्रियों के विरुद्ध जो आरोप-प्रत्यारोप नाम लेकर या पदनाम से किये गये हैं वे संसदीय मर्यादा एवं परम्परा के विरुद्ध हैं।

अतएव सदन के माननीय सदस्यों के विरुद्ध किये गये आरोप-प्रत्यारोप को सदन की कार्यवाही से विलोपित किया जाता है।

[6] वित्तीय कार्य :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य डा० अच्युतानन्द द्वारा लेखानुदान के प्रस्ताव पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

लेखानुदान के प्रस्ताव तथा इस पर दिए गए संशोधन के वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

- (i) श्री बिनोद प्रसाद यादव

(माननीय अध्यासी सदस्य श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

- (ii) श्री बिनोद नारायण झा

- (iii) श्री कृष्णनन्दन यादव

- (iv) श्री दिनेश कुमार सिंह

- (v) श्री जनक सिंह

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

- (vi) मो० अफाक आलम

- (vii) श्री तारकिशोर प्रसाद

- (viii) श्री पवन कुमार जायसवाल

- (ix) श्री जवाहर प्रसाद

- (x) श्री ललन राम

- (xi) श्री विजय कुमार सिन्हा

- (xii) श्रीमती पूनम देवी

- (xiii) श्री मनोहर प्रसाद

माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वाद-विवाद का सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।

माननीय सदस्य डा० अच्युतानन्द का संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा लेखानुदान की मांग का मूल प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

[7] विधायी कार्य :- राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-

बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014

माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 30 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएंगे।

तदुपरांत सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2014 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-20.02.2014

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।